राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 147वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 147वीं बैठक दिनांक 07/06/2023 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 146वीं बैठक दिनांक 22/06/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 146वीं बैठक दिनांक 22/06/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 458वीं एवं 459वीं बैठक क्रमशः दिनांक 17/04/2023 एवं 18/04/2023 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों, बिल्डिंग परियोजना एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स ईटवा ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी (प्रो.– श्री शोभाराम रात्रे), ग्राम–ईटवा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2310)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 418380/2023, दिनांक 15/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं कच्चे ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–ईटवा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 21/1, 21/2, 22/2, 22/5 एवं 22/6, कुल क्षेत्रफल–1.697 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शोभाराम राठे, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ईटवा का दिनांक 19/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2675/खनि/मिट्टी उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 11/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2945/ख.लि./न.क्र./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2945/ख.लि./न.क्र./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भू–स्वामित्व –** भूमि खसरा क्रमांक 21/1 श्री सोमितराम, श्री लेमितराम, रजनी, रंजन एवं श्रीमती अमृताबाई, खसरा क्रमांक 21/2 श्री शोभाराम राठे, खसरा क्रमांक 22/2 श्री जगन्नाथिया, खसरा क्रमांक 22/5 श्री शांतिकिन्नर तथा खसरा क्रमांक 22/6 श्री रामप्यारे के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. श्री शोभाराम राठे के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्र./945/गौण खनिज/न.क्र. 09/2022 बिलासपुर, दिनांक 23/06/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक./1757 बिलासपुर, दिनांक 15/03/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 12.179 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ईटवा 270 मीटर, स्कूल ग्राम–ईटवा 400 मीटर एवं अस्पताल बिलासपुर 18.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32.20 कि.मी. दूर है। अरपा नदी 220 मीटर, तालाब 430 मीटर नहर 1.7 कि.मी. एवं नाला 1 कि.मी. दूर है। पक्की सड़क 100 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉलुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 29,940 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 27,945 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 26,547 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 685 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित नहीं किया जाएगा। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000
द्वितीय	1,000
तृतीय	1,000
चतुर्थ	1,000
पंचम	1,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 340 पेड़ वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
वृक्षारोपण (90 प्रतिशत	3,400	–	–	–	–

जीवन दर) हेतु राशि					
फेंसिंग हेतु राशि	85,000	—	—	—	—
खाद हेतु राशि	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 11,73,400	3,06,400	2,17,000	2,17,000	2,17,000	2,17,000

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.26	2%	0.245	Following activities at, Govt. Primary School **Village- Itwa**	
			Installation of UV Water Filter	0.15
			It's AMC (2000x5)	0.10
			Total	**0.25**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउन्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. लीज क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) का निर्माण नहीं किया जावेगा या लीज क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के भट्ठे के माध्यम से पक्की ईंट का निर्माण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

26. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2845/ख. नि./न.क्र./2023 बिलासपुर, दिनांक 07/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–ईटवा) का रकबा 1.897 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स ईटवा ब्रिक्स अर्थवेल क्वारी (प्रो.– श्री शोभाचरन राठे) को ग्राम–ईटवा, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 21/1, 21/2, 22/2, 22/5 एवं 22/6 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान (बिना चिमनी भट्ठा के), कुल क्षेत्रफल–1.897 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्शे/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि आवेदित खदान से केवल कच्चे ईंट ही तैयार किये जायेंगे। इन कच्चे ईंटों को उपयोग लायक परिवर्तन करने (गर्म किया जाकर पक्की ईंटों का निर्माण) हेतु कहां–कहां, किन–किन भट्टों में उपयोग किया जाएगा तथा उन भट्टों की

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं? इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स मुड़पार लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री कमलेश देवांगन), ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1771)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 66874/2021, दिनांक 24/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 416380/ 2023, दिनांक 17/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 31/1(पार्ट), 31/2(पार्ट), 33, 34, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/2(पार्ट), 65/1(पार्ट), 65/2(पार्ट) एवं 65/3(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आकेंक्षित उत्खनन क्षमता–25,001.25 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश देवांगन, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री पूनम मंगलम उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़पार का दिनांक 23/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 687/खनि. अनु.–01/2021 दुर्ग, दिनांक 02/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 27 खदानें, क्षेत्रफल 46.428 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 531/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 05/07/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5105/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र.50/2017(4) नया रायपुर, दिनांक 30/09/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.08.2020 (प्रकाशन दिनांक 30.08.2020) के नियम 42 के उप–नियम (5) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4937 दुर्ग, दिनांक 14/12/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़पार 320 मीटर, स्कूल ग्राम–मुड़पार 320 मीटर, अस्पताल ग्राम–सेलुद 2.5 कि.मी. की दूरी पर

स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 20 कि.मी. एवं तालाब 510 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,20,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,51,063 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,16,497 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,392 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,151 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,001.25
द्वितीय	25,001.25
तृतीय	25,001.25
चतुर्थ	25,001.25
पंचम	25,001.25

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के निकट स्थित मेसर्स मित्या स्टोन क्रशर के संचालित खदान सीपेज वाटर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् मेसर्स मित्या स्टोन क्रशर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पीने योग्य पानी (1.35 घनमीटर प्रतिदिन) के संबंध में संबंधित शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,348 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। कुल 1,348 नग पौधों के लिए राशि 1,02,448 रूपये, खाद के लिए राशि 10,110 रूपये, चेन लिंक फेंसिंग के लिए राशि 2,67,800 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,08,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,88,858 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,79,008 हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 232 वर्गमीटर क्षेत्र संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण एवं चौड़ाई कम होने के कारण 4,634 वर्गमीटर क्षेत्र को 13.5 मीटर गहराई के पश्चात् गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	26.28	43.58	60
PM_{10}	47.2	66.50	100
SO_2	9.08	14.63	80
NO_2	11.33	20.24	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	49.54	61.23	75
Night L_{eq}	40.07	52.41	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 830 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.13 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 42 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 872 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0-0.2) के भीतर है।

17. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 28 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग 10 कि.मी. के दोनों तरफ (8,667 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	5,06,692	50,616	50,616	50,616	50,616
	फेंसिंग हेतु राशि	61,33,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	50,010	5,010	5,010	5,010	5,010
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000
कुल राशि = 1,77,12,836		88,50,302	22,15,626	22,15,626	22,15,626	22,15,626

कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 344 मीटर (229 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,404	1,745	1,748	1,748	1,748
	फेंसिंग हेतु राशि	2,13,200	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,710	180	180	180	180
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167
कुल राशि = 6,10,861		3,06,481	76,095	76,095	76,095	76,095

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

19. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
56	2%	1.12	Following activities at, Village- Mahkakala	
			Pavitra Van Nirman	14.14
			Total	14.14

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदंब, जामुन, आंवला, अमलतास, बरगद, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों के लिए राशि 38,456 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,13,000 रुपये, सिंचाई व खाद के लिए राशि 3,810 रुपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,08,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,63,766 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,50,780 रुपये हेतु पटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत महकाकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 196, क्षेत्रफल 2.2 हेक्टेयर में से 0.6 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

21. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

22. स्फुल टाईमिंग के दौरान ब्लास्टिंग न किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. लीज क्षेत्र की सीमा के 7.5 मीटर की पट्टी में निर्मित रोड को हटाकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. कैप्टिव इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण पेश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

39. लोक सुनवाई दिनांक 16/09/2022 दोपहर 12:00 बजे ग्राम-पंचायत मुड़पार, ग्राम-मुड़पार, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 11/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

40. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:-**

   i. हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर घरों व स्कूलों तक आ जाते हैं। दिन में दस बार ब्लास्टिंग होता है, जिससे भूकंप जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे

स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों तथा गांव वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ii. लगातार बढ़ती खदानों से गांव का वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों की फसलों, मनुष्यों एवं जीव–जन्तुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

iii. समस्त ग्राम वासियों ने खदान खोलने का विरोध किया है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से जिन ग्राम वासियों के घरों में टूट–फूट हुआ है उनको निरीक्षण करके उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिया जावें।

iv. मेरी जमीन खदान से लगी हुई है। मैं अपनी जमीन खदान वालों को बेच रहा हूं क्योंकि खदान वाले मुझे अपनी जमीन में जाने के लिए रास्ता नहीं देते हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी होगी।

ii. धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।

iii. हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करेंगे जिससे आपको परेशानी नहीं होगी।

iv. हमने जो जमीन खरीदी है, उसमें हम फेंसिंग कराएंगे। उसके बाहरी किनारे से आप जा सकते हैं।

41. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा अनुमोदित किये गये लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोग सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनः उद्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टिका–टिप्पनियां प्राप्त हुई, जिसमें लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है। समिति का मत है कि जन सुनवाई में उपस्थिति लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु किये गये जन सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोग सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनः उद्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टिका–टिप्पनियां प्राप्त हुई, जिसमें लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की

गई। समिति का मत है कि इस निर्णय से कलेक्टर, जिला–दुर्ग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को अवगत कराया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि आवेदित खदान एक नवीन खदान है। लोक सुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों से ज्ञात होता है कि क्लस्टर में शामिल अन्य संचालित खदानों में से किसी खदानी द्वारा पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन संभवतः नहीं किया जा रहा होगा। उक्त के संबंध में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय एवं तकनीकी दृष्टिकोण से निराकरण किये जाने हेतु बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं?
2. आवेदित स्थल एवं क्लस्टर में शामिल अन्य खदानों का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु पूर्व में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 29/03/2022 के सदस्य श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति निरीक्षण का कार्य करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स अछोती फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कुलदीप कुमार साहू), ग्राम–अछोती, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2311)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 418786/2023, दिनांक 17/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।
प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोती, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक–1241(पार्ट), 1202/1 एवं 1202/5(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.49 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,500.5 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुलदीप साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** फर्शी पत्थर उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोती का दिनांक 18/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख. प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 906/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(3) नया रायपुर, दिनांक 03/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 179/क/खनि/न.क्रं/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 28.02 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 179/क/खनि/न.क्रं/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भू–स्वामित्व –** भूमि खसरा क्रमांक 1202/5 आवेदक एवं खसरा क्रमांक 1202/1 व 1241 श्री नाथूराम साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. श्री कुलदीप कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 09/क/खनिज/मा.वि./न.क्रं. 07/2022 महासमुंद, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि/5180 महासमुंद, दिनांक 17/10/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा 8 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र में खदान सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर जैव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला–महासमुंद द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 500 मीटर, निकटतम स्कूल ग्राम–अछोली 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। कोढार नदी 650 मीटर की दूरी पर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,23,500 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 1,17,398 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 88,047 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 19,800 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 47 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,500.5
द्वितीय	2,500.5
तृतीय	2,500.5
चतुर्थ	2,500.5
पंचम	2,500.5

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/10/2021 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 179/क/खनि/न.क्रं/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 28.02 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 1.49 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 27.51 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit modified top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit the clarification regarding the distance from the lease boundry to nearest Biodiversity boundary from DFO, Forest Department.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

4. मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर– श्री आनंद सिंघानिया), ग्राम–पुरेना, तहसील व जिला–रायपुर (मंत्रालय का नस्ती क्रमांक 2312)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/418922/ 2023, दिनांक 18/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–पुरेना, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक – 426/3, क्षेत्रफल – 1.996 हेक्टेयर में प्रस्तावित बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन अपार्टमेंट (फ्लेट्स) एवं कॉमर्शियल बिल्डिंग टोटल बिल्टअप एरिया 38,312.3 वर्गमीटर के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के

दौरान त्रुटिवश कुल बिल्टअप एरिया में गलत जानकारी अंकित किये जाने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को कि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई। साथ ही प्रस्तावित क्षेत्र में उल्लंघन है अथवा नहीं के संबंध में स्थल निरीक्षण हेतु समिति द्वारा तीन सदस्यीय उपसमिति डॉ. मनोज कुमार चोपकर सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को कि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् कि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स अछोती फर्शी पत्थर माईन (प्रो.– श्री निर्मल कुमार बोथरा), ग्राम–अछोती, तहसील व जिला–महासमुंद, (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2316)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 419324/ 2023, दिनांक 22/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–अछोती, तहसील व जिला–महासमुंद, स्थित खसरा क्रमांक 1174/2, 1179/1 एवं 1179/2, कुल क्षेत्रफल–0.42 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,625.2 टन (1,510.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निर्मल कुमार बोथरा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 29/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्हायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 867/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) नया रायपुर, दिनांक 03/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 178/क/खनि/न.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 29.64 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 178/क/खनि/न.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री निर्मल कुमार बोथरा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 07/क/खनिज/मा.शि./न.क्र. 11/2023 महासमुंद, दिनांक 03/01/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1179/1 एवं 1179/2 श्री निर्मल कुमार बोथरा के नाम पर तथा खसरा क्रमांक 1174/2 श्रीमती सरस्वती साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.शि./5083 महासमुंद, दिनांक 10/10/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र में खदान सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर जैव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख है, जिसके संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में त्रुटिवश खदान सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर जैव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख हुआ है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला–महासमुंद द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 350 मीटर, स्कूल ग्राम–अछोली 840 मीटर एवं अस्पताल तुमगांव 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है। नौसानी

नाला 1 कि.मी., तालाब 1.3 कि.मी., महानदी 1.9 कि.मी. एवं विलरिका नहर 50 मीटर की दूर है। 50 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़क स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संचया एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 40,320 टन, माईनेबल रिजर्व 20,808 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 19,787 है। लीज की 3 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,175 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,485 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,455 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,306.0
द्वितीय	3,488.4
तृतीय	3,420.0
चतुर्थ	3,602.4
पंचम	3,626.0

13. लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं किये जाने, उत्खनन हेतु एक दिन में 20 व्यक्ति से अधिक कर्मचारी नहीं होने, अधिकतम गहराई 6 मीटर तक सीमित रखे जाने, उत्खनन कार्य केवल मैन्युअल विधि से किये जाने के कारण नियमानुसार माईन लीज बाण्डरी के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की पट्टी छोड़ी गई है। इसके संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि:–

    माईन्स एक्ट, 1952 (खानों में और क्षेत्र श्रम के विनियम से संबंधित) की धारा 3(1) के अनुसार खदान में उत्खनन हेतु किसी एक दिन में 20 व्यक्ति से अधिक कर्मचारी नहीं होने, 6 मीटर से अधिक गहराई तक (उच्चतम से न्यूनतम बिन्दु तक) उत्खनन नहीं होने तथा उत्खनन हेतु विस्फोटक (Explosives) का उपयोग नहीं होने के कारण माईन्स एक्ट, 1952 लागू नहीं होगा। फलस्वरूप लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की सुरक्षा पट्टी की बाध्यता नहीं होने के कारण अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार माईन लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई की सुरक्षा पट्टी छोड़ा गया है।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 3 मीटर की पट्टी में 180 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

16. **खदान की 3 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 3 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 55 वर्गमीटर क्षेत्र को संकीर्ण होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/02/2022 को सूचना दी गई थी।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 178/क/खनि/ग.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 29.64 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 0.42 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 30.06 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. **Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.**

   ii. **Project proponent shall submit top soil and overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.**

   iii. **Project proponent shall submit the clarification regarding the distance from the lease boundry to nearest Biodiversity area boundary from Forest Department.**

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit an affidavit that the workers working in the mine area shall be less than 20 person in a day and the maximum depth of mining not more than 6 meter due to which the plantation will be carryout at 3 meter wide greenbelt all along the mine lease boundary.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 3 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including River."

परियोजना प्रस्तावक को संशोधित टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

6. मेसर्स अछोली फर्शी पत्थर माईन (प्रो.–श्री निर्मल कुमार बोथरा), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2314)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 417397/ 2023, दिनांक 22/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 112/5, कुल क्षेत्रफल–1.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,447.4 टन (3,519.75 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निर्मल कुमार बोथरा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 15/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 869/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.02/2019(1) नया रायपुर, दिनांक 03/02/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 177/क/खनि/न.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, कुल क्षेत्रफल 28.06 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 177/क/खनि/न.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री निर्मल कुमार बोथरा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद, के ज्ञापन क्रमांक 1087/क/ख.न./खनि./न.क्र. 03/2022 महासमुंद, दिनांक 18/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 112/5 श्री निर्मल कुमार बोथरा, श्री वीरेन्द्र साहू, श्री टिकेश कुमार साहू एवं श्री राजेश कुमार साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.पि/2949 महासमुंद, दिनांक 20/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. दूर है। साथ ही उक्त प्रमाण पत्र में खदान सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर जैव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख है, जिसके संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में त्रुटिवश खदान सीमा से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर जैव विविधता क्षेत्र होने का उल्लेख हुआ है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला–महासमुंद द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–अछोली 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल तुमगांव 8.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.9 कि.मी. दूर है। तालाब 2 कि.मी., महानदी 870 मीटर, नहर 540 मीटर एवं मौसमी नाला 210 मीटर की दूरी पर स्थित है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,01,800 टन, माईनेबल रिजर्व 1,09,800 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,04,310 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,865 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,867.5 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 14002.5 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। स्टोन क्रेशर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5401.8
द्वितीय	5436.0
तृतीय	5413.2
चतुर्थ	5447.4
पंचम	5424.6

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 924 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/02/2022 को सूचना दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 177/क/खनि/न.क्र. 02/2022 महासमुंद, दिनांक 09/02/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 33 खदानें, क्षेत्रफल 28.86 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का रकबा 1.4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 30.06 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. **Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.**

   ii. **Project proponent shall submit the clarification regarding the distance from the lease boundry to nearest Biodiversity boundary from Forest Department.**

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

vii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

viii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

7. **मेसर्स निरोस इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–इमरबोड़, तहसील–भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1886)**

आवेदन – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2014 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में दिनांक 20/07/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 34 "In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India/SEIAA, Chhattisgarh." अनुसार अनुमति प्रदाय करने हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 791, दिनांक 10/08/2016 द्वारा प्लाट नं. 14–ए, बी, सी, एच एवं 15(पार्ट) हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई में कुल क्षेत्रफल 20 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत् इंगट / बिलेट – 30,000 टन प्रतिवर्ष से – 90,000 टन प्रतिवर्ष (पूर्व स्थापित इण्डक्शन फर्नेस 2 नुग्ना 5 टन + क्षमता विस्तार के तहत् 2 नुग्ना 10 टन), रोलिंग मिल क्षमता – 90,000 टन प्रतिवर्ष एवं कोल वैसीफायर – 1 नग क्षमता 8,750 सामान्य घनमीटर / घंटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन क्रमांक 857, दिनांक 06/05/2022 द्वारा एम.एस. पाईप फैब्रिकेशन, क्षमता – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है। तदानुसार उक्त सुविधा की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तावित प्रक्रिया ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शेड्यूल के किसी भी केटेगरी के अंतर्गत शामिल नहीं है। तदैव, पाईप फैब्रिकेशन सुविधा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी केटेगरी के अनुसार यह फैब्रिकेशन एवं इंजीनियरिंग यूनिट के तहत् "व्हाईट केटेगरी" के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. उक्त प्रक्रिया में माईल्ड स्टील शीट को फैब्रिकेशन कर (मोड़कर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पद्धति द्वारा वेल्ड कर) एम.एस. पाईप के रूप में फैब्रिकेटेड किया जाएगा। प्रक्रिया का विवरण (manufacturing process for MS Pipe Fabrication) प्रस्तुत किया गया है।
5. इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं होगा। तदैव वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण नहीं होगा। उत्पन्न स्क्रैप को उद्योग परिसर में ही इण्डक्शन फर्नेस में रिसाईकल कर लिया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये

जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तत्समय **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/02/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आवेदन पर विचार कर आवश्यक अनुमति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनमोहन अग्रवाल, मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् निम्नानुसार कार्य पूर्ण किया जाना बताया गया है:–

S.No.	Particulars of investment made under CER	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)
1.	Plantation at near by village (1340 nos plant)	5.6
2.	Plantation has been carried out in 1) Police Station 2) CSCB Boundary Wall	6.7
	Total	12.30

2. ईकाई में एक नवीन एम.एस. पाईप एवं अन्य सेक्शन फैब्रिकेशन यूनिट क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष की स्थापना जल अधिनियम तथा वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति तथा संचालन सम्मति के अनुसार स्थापित की गई एवं संचालनरत है।

3. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त सुविधाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है, उनकी प्रक्रिया, उनके कच्चे माल, उनके प्रोडक्ट मिक्स, उनकी क्षमता आदि में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

4. उपरोक्त पाईप फैब्रिकेशन यूनिट ईआईए अधिसूचना, 2006 के शेड्यूल में सम्मिलित नहीं है। तदैव इस उत्पाद एवं प्रक्रिया हेतु अलग से पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उक्त हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. एम.एस. पाईप फैब्रिकेशन कोई प्राईमरी या सेकेण्ड्री मेटलर्जिकल नहीं है, कोल्ड एवं हॉट रोलिंग प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है तथा किसी प्रकार का हीट ट्रीटमेंट शामिल नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. उपरोक्त पाईप फैब्रिकेशन यूनिट के प्रोसेस में किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, फर्नेस आयल, डीजल आदि का उपयोग नहीं होता, प्रक्रिया केवल विद्युत आधारित ही है।

7. उपरोक्त पाईप फैब्रिकेशन यूनिट के प्रोसेस हेतु मटेरियल बैलेंस तथा कच्चे माल का स्रोत का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

इनपुट (मात्रा टन प्रतिदिन में)		आउटपुट (मात्रा टन प्रतिदिन में)	
विवरण	मात्रा	विवरण	मात्रा
रिरोल्ड प्रोडक्ट/एम एस स्ट्रीप/एम एस शीट	515.47	एम एस फैब्रिकेटेड पाईन एंड स्ट्रक्चर जैसे हाल्ले सेक्शन, स्क्वेयर, पाईप्स आदि	500.00
		एम.एस. स्क्रैप	14.95
		मिल स्केल	0.52
	515.47		515.47

कच्चा माल जैसे रि–रोल्ड प्रोडक्ट/एम.एस. स्ट्रीप/एम.एस. शीट आदि स्वयं के उत्पादन प्राथमिकता से उपयोग किया जाता है तथा शेष मात्रा बाजार से खरीद कर उपयोग किया किया जाता है।

शेष अतिरिक्त एम.एस. स्क्रैप को स्वयं के इंडक्शन फर्नेस में री–मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है तथा मिल स्केल को केंडो एलॉयस/पेलेट प्लांट को विक्रय किया जाता है।

8. उपरोक्त पाईप फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना के पश्चात् भी परिसर में 33 प्रतिशत भू–भाग (6.6 एकड़) पर ग्रीनबेल्ट विद्यमान है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। ले–आउट जिसमें पूर्व एवं पाईप फैब्रिकेशन यूनिट के स्थापना के पश्चात् ग्रीनबेल्ट एवं अन्य सुविधाओं को दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना स्थल पर वर्ष 2016 से 2023 तक लगभग 8,200 वृक्ष लगाये गये है, जिसमें से वर्तमान में 7,400 वृक्ष जीवित है। ग्रीनबेल्ट का वेरीफिकेशन भी करवाया गया है एवं उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

9. ले–आउट के अनुसार उपरोक्त परिवर्तन के पूर्व एवं पश्चात् रेनवाटर रनऑफ पोटेंशियल की गणना निम्नानुसार प्रस्तुत है–

पाईप फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना के पूर्व –

Land use	Area (Acre)	Area (Hectare)	Rainfall (M/Yr)	Co-efficient of runoff	Runoff (CUM)
Built-up	8.3114	3.36	1.25	0.85	35,738
Road/paved/ parking/ storage yard	1.19	0.48	1.25	0.65	3,913
Open Land (including reservoir)	3.8986	1.58	1.25	0.2	3,945
Green Belt	6.6	2.67	1.25	0.15	5,008
Total	**20**	**8.09**			**48,604**

पाईप फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना के पश्चात् –

Land use	Area (Acre)	Area (Hectare)	Rainfall (M/Yr)	Co-efficient of runoff	Runoff (CUM)
Built-up	9.14	3.70	1.25	0.85	39,301
Road/paved/ parking/ storage yard	1.19	0.48	1.25	0.65	3,913
Open Land (including reservoir)	3.07	1.24	1.25	0.2	3,106
Green Belt	6.6	2.67	1.25	0.15	5008
Total	**20**	**8.09**			**51,328**

10. परिसर में 8 नग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए है नये फैब्रिकेशन शेड से निकलने वाले रन ऑफ को RWH#04 एवं RWH#05 से कनेक्ट किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर के संदर्भ में अनुरोध किया गया है कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति सीईआर के प्रथम गाइडलाईन 1 मई 2018 से पूर्व की है तदैव परियोजना पर पूर्व में सीईआर अधिरोपित नहीं था। पर्यावरण स्वीकृति में वर्णित सुविधाओं हेतु 15.46 करोड़ रूपये निवेशित किया जाना था, जिसका सीए सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है।

उद्योग ने इस पाईप फैब्रिकेशन यूनिट हेतु कुल 11 करोड़ निवेश किए गए है जिसका सीए सर्टिफिकेट के अनुसार एवं गाईडलाईन में अधिकतम सीईआर की सीमा के अनुसार 1 प्रतिशत राशि रुपये 11 लाख होती है। इस संबंध में उद्योग ने रुपये 12.06/– से अधिक राशि सीईआर में व्यय किया गया है, जिसका विवरण प्रस्तुत किया गया है।

12. उक्त उत्पाद हेतु लगभग 516 टन प्रतिदिन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इस हेतु 30 टन प्रतिट्रीप के अनुसार लगभग 18 ट्रिप अतिरिक्त परिवहन की आवश्यकता होगी। परियोजना पूर्व से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में है तदैव उपरोक्त हेतु पर्याप्त सड़क इत्यादि अधोसंरचनाएं पूर्व से ही विकसित है तदैव इस अतिरिक्त परिवहन से भी प्रभाव नगण्य होगा।

13. उक्त उत्पाद में किसी प्रकार का अतिरिक्त ईंधन उपयोग नहीं होगा केवल विद्युत आधारित प्रक्रिया का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना से किसी प्रकार के वायु प्रदूषण की संभावना नहीं है। साथ ही परियोजना के प्रक्रिया में जल का उपयोग भी नहीं होता है। तदैव जल प्रदूषण भी संभावित नहीं है।

14. उक्त उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया आटोमेटिक प्रक्रिया है। तदैव इसमें अधिक अतिरिक्त श्रमशक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रक्रिया में निर्माण हेतु केवल 30 नवीन श्रमिक ही लगते है तदैव उनके के लिए आवश्यक घरेलू जल की मात्रा में 1 किलो ही होती है। इससे उत्पन्न होने वाले लगभग 0.2 किलो घरेलू जल को वर्तमान स्थापित एस.टी.पी. (15 किलो प्रतिदिन) में ही उपचारित किया जाता है। तदैव कंपनी को सीजीडब्ल्यूए से प्राप्त 295 किलो की एन.ओ.सी. से प्राप्त जल से हमारी उपरोक्त आवश्यकता की आपूर्ति हो जाती है।

15. उक्त उत्पाद हेतु में प्रक्रिया के कारण एवं कच्चे माल एवं उत्पादों हथालन से जो ध्वनि उत्पन्न होत है उनके रोकथाम हेतु निम्नानुसार उपाय किए गए है:-

- प्रक्रिया में अधिक शोर उत्पन्न नहीं होता तथापि सभी मूविंग उपकरणों को लगातार ल्यूब्रिकेट किया जाता है।
- हथालन में शोर उत्पत्ति को कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु माल का फेंक कर नहीं अपितु सलीके से जमा कर रखा जाता है जिससे कम से कम शोर हो।
- परियोजना में हर तिमाही में थर्ड पार्टी से ध्वनि की निगरानी करवाई जाती है।
- अधिक ध्वनि उत्पत्ति क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को इयर प्लग / ईयर मफ प्रदान किया जाता है।
- अधिक ध्वनि उत्पत्ति क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को रोटेशन के आधार पर कार्य करवाया जाता है।

16. उक्त उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया में प्रति टन फेब्रिकेशन में लगभग 50 यूनिट बिजली की आवश्यकता होती है तदैव कुल 1.00 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ी है। जिसकी आपूर्ति स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांट तथा सीएसपीडीसीएल ग्रिड से प्राप्त विद्युत से कर ली जाती है इस हेतु अलग से कोई पावर प्लांट स्थापित नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय** लिया गया कि प्रस्तावित उत्पाद / उत्पादन प्रक्रिया ईआईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने के कारण परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री तुलसी फॉस्फेट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1825)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 71881/2022, दिनांक 03/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/286214/2022, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित प्लॉट नं. – 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल – 4.28 हेक्टेयर में प्रस्तावित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी)/ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) क्षमता–1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया। परियोजना का कुल विनियोग रूपये 17.5 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/12/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में क्षेत्रफल 4.28 हेक्टेयर के स्थान पर 5.286 एकड़ (21,392.2 वर्गमीटर) किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार लेण्ड एरिया स्टेटमेंट निम्नानुसार है:–

Description	Area (m^2)
Main plant building	4,727.2
Parking	1,493.4
Open & Road area	7,229.7
Green area	7,068.4
Area for other Activities	882.5
Total Plot area	**21,392.2**

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2023 को संपन्न 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भू–संबंधी दस्तावेजों के परिपेक्ष में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।**

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवम कुमार एवं श्री अमित कुमार, डीएमरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु आवेदन में त्रुटिवश क्षेत्रफल 4.26 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया था। तदानुसार ही टी.ओ.आर. प्राप्त हुआ है। वास्तव में प्रस्तावित इकाई का क्षेत्रफल 5.286 एकड़ है, जिस हेतु सीएसआईडीसी द्वारा दिनांक 25/10/2010 के माध्यम से जारी लीज डीड में क्षेत्रफल 5.286 एकड़ हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में टी.ओ.आर. में क्षेत्रफल 4.26 हेक्टेयर **के स्थान पर** 5.286 एकड़ (21,382.2 वर्गमीटर) किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन क्रमांक सीएसआईडीसी/भू–अर्जन/22/8851 रायपुर, दिनांक 07/12/2022 द्वारा जारी पत्र में "(1) औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला–महासमुंद की स्थापना की घोषणा – कक्ष में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद के पत्र क्रमांक 351/विकास/सा./98, दिनांक 09–10–1998 को औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला–महासमुंद की स्थापना हेतु कुल 96.42 हेक्टेयर शासकीय भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुमति/कार्यवाही करने का लेख है। (2) भूमि का हस्तांतरण – विषयांकित भूमि का अधिपत्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, महासमुंद के माध्यम से सीएसआईडीसी द्वारा दिनांक 04–02–2000 को प्राप्त किया गया है।" का उल्लेख है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक **J-11011/321/2016-IA.II(I)**, दिनांक 27/04/2018 द्वारा **Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks** हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः उक्त दस्तावेज एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी टीओआर (लोक सुनवाई सहित) **के स्थान** पर टीओआर (बिना लोक सुनवाई) किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में "क्षेत्रफल 4.26 हेक्टेयर एवं टीओआर (लोक सुनवाई सहित) **के स्थान पर** क्षेत्रफल 5.286 एकड़ एवं टीओआर (बिना लोक सुनवाई) करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit clarification regarding no change in project cost as per previous issued ToR & applied amendment in ToR Project proponent shall also submit project cost break up with proper details incorporating land cost, plant and machinery cost, electric installation cost, other etc..

ii. Project proponent shall submit layout plan of previous issued ToR & applied amendment in ToR.

iii. Project proponent shall submit land area statement of previous issued ToR & applied amendment in ToR.

iv. Project proponent shall submit the layout plan with minimum 40% plantation (i.e. 2.1144 acre) all along the boundary.

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/08/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में संशोधन जारी किया जाए।

8. मेसर्स मंगल स्पंज एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा एवं मोहभट्ठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1493)

ऑनलाईन आवेदन– पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 62624/ 2021, दिनांक 10/04/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 72128/ 2010, दिनांक 28/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बिल्हा एवं मोहभट्ठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल क्षेत्रफल – 6.5 एकड़ में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की कुल लागत 41 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनित अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स ए.एन.पी.आई. इन्नावरी प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री विपिन कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   - एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/11/2012 द्वारा इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। ई.आई.ए. अधिसूचना (उक्त संशोधित), 2006 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19/11/2019 तक थी।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की गई है। शेष इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल की स्थापना का कार्य शेष है। वर्तमान में उद्योग की स्थापना हेतु 60 प्रतिशत से अधिक का निर्माण कार्य किया गया है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर से इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 36,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति में संशोधन दिनांक 19/06/2020 को जारी की गई है।

   - पूर्व में जारी सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी बिल्हा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बिल्हा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बिलासपुर एयरपोर्ट 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 9 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace	2,680	10.18
2.	Rolling Mill Area	4,565	17.36
3.	Finished Good Area	1,643	6.24
4.	Raw Material Area	1,860	7.08
5.	Parking Area	2,400	9.12
6.	Road Area	2,600	9.88
7.	Greenbelt	10,556.6	40.14
Total		**26,304.6**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)		Source	Mode
		Existing	After expansion		
For Induction Furnace					
1.	Sponge Iron	63,171.2	1,26,342.4	Local Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	19,117.6	38,235.2		
3.	Ferro Alloys	831.2	1,662.4		
For Rolling mill					
4.	Billets	-	1,23,000	In house Billets	Conveyor

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Proposed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	72,000 TPA	72,000 TPA	1,44,000 TPA
2.	Hot Charged Rolling Mill	-	1,05,000 TPA	1,05,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में स्थापित 2 नग इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं 1 नग चिमनी (ऊंचाई 30 मीटर) स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 2 नग इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्शन हुड के साथ बेग फिल्टर एवं 1 नग चिमनी (ऊंचाई 30 मीटर) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत दोनों चिमनियों से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित

नहीं है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादित एम.एस. बिलेट्स को हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल के माध्यम से रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा तथा शेष बिलेट्स को आस-पास की अन्य इकाईयों में विक्रय किया जाएगा। रि-हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किया जाएगा। अतः इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 7,198 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत स्लेग – 14,396 टन प्रतिवर्ष, मिल स्केल – 5,400 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर डस्ट 1 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड ऑयल 200 लीटर ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को सीमेंट/ ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी अपनाई जाएगी। यूस्ड ऑयल को अधिकृत वेण्डर को विक्रय किया जाएगा। मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा। अतः इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 41 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 85 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 55 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है, जो दिनांक 18/12/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एनबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 10 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, री-सीवेज कलेक्शन टैंक, एनबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 15,272 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.06 हेक्टेयर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत) में 2,650 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_x$ का सान्द्रण लेवल**:–

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	17.1	36.2	60
PM_{10}	42.6	82.5	100
SO_2	10.2	18.4	80
NO_x	13.0	21.8	80

पीएम$_{10}$ के इन्क्रीमेंटल डाटा की जानकारी:–

Impact				
Pollutants	Baseline Concentration (µg/m^3)	Incremental (µg/m^3)	Resultant (µg/m^3)	CPCB Norms
PM_{10}	82.5	1.43	83.93	100

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	50.9	61.4	75
Night L_{eq}	42.6	53.6	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 423 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 7.33 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 430.33 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.143 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रॉडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है। यह बताया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र से लगी हुई स्पंज आयरन इकाई है, जो कि आवेदित उद्योग के द्वारा ही स्थापित की गई एक पृथक इकाई है। स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों को कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त वृक्षारोपण को ले–आउट में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत विनियोग की कुल लागत 41 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्मति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजाति के पौधों) इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (खसरा सहित) को ले–आउट में दर्शाते हुए ले–आउट प्लान ग्रीन बेल्ट सहित केएमएल फाईल के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी (सारणीबद्ध में) प्रस्तुत किया जाए।

10. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों को कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए।

11. ई.एम.पी. (Environment management plan) का अवलोकन कर पुनःरीवाइज ई.एम.पी. प्रस्तुत किया जाए।

12. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार 1,900 नग वृक्षारोपण (स्थानीय प्रजाति के पौधों) इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

Particulars	SMS (Lakh)	Rolling Mill (Lakh)	Total (Lakh)
Land & Site Development	20	30	50
Building & Civil Works	400	500	900
Plant & Machinery	1,000	1,500	2,500
Electrical Installation	125	75	200
Preliminary & Pre-oparative Expenses	50	50	100
Contigencies	125	75	200
Deposites	30	20	50
Pollution Control Equipment	40	10	50
Other Fixed Assets	20	30	50
Total Investment	**1,810**	**2,290**	**4,100**

5. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (खसरा सहित) को ले–आउट में दर्शाते हुए ले–आउट प्लान ग्रीन बेल्ट सहित केएमएल फाईल के साथ पठनीय प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् एवं मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किये जाने बाबत् तथा कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उपरोक्त हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. वर्तमान इकाई एवं प्रस्तावित इकाई में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी (सारणीबद्ध में) प्रस्तुत किया गया है।

8. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल

इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों को कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि पठनीय नहीं है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. ई.एम.पी. (Environment management plan) का अवलोकन कर पुनःरीक्षित ई.एम.पी. प्रस्तुत किया गया है।

10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सतसम्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2, 5, 6, 8 एवं 10 के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/12/2022, 16/12/2022 एवं 21/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 07/12/2022 द्वारा जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण के पालन में की गई कार्यवाही की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें सम्मति नवीनीकरण के सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 12/12/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक i, ii, iv, xxii, xxvi & xxvii का आंशिक पालन एवं शर्त क्रमांक viii, xvii, xviii, xix, xxx, xxxi, xxxii & xxxiv का अपूर्ण पालन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन शर्त के परिपेक्ष्य में किये जाने वाले कार्यों हेतु विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 21/12/2022 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

i. प्रस्तावित कार्यकलाप से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। जल का उपयोग कूलिंग हेतु किया जाता है, जिसका पुनःचक्रण कर उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण दूषित जल का निस्तारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉण्ड में नहीं होता है। सदैव शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाती है।

ii. फ्यूजिटिव डस्ट के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर द्वारा किये गये मॉनिटरिंग रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है, जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

iii. परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्राधिकार जारी किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 19/05/2024 तक है।

iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय ध्वनि स्तर का मापन किया गया है, जो कि मानकों के अनुरूप है। उक्त का उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट का उल्लेख भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में किया गया है।

v. सी.एस.आर. एवं सोशियो इकोनॉमी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक बताया गया कि उनके द्वारा लागत 68,00,000 रुपये का श्री मंगल उपवन/पार्क का निर्माण किया गया है, कोविड–19 महामारी के समय सी.एम. रिलिफ फण्ड, पी.एम. केयर्स फण्ड, इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी आदि में 10,51,000 रुपये दिया एवं ट्रस्ट में 1,11,111 रुपये दिया गया है।

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में 151 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें से 80 प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त 110 कर्मचारी रखा जाना प्रस्तावित है, जिसमें अधिक से अधिक कर्मचारी स्थानीय रखा जाना प्रस्तावित है।

vii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सूचना का प्रकाशन अखबार में किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न किया गया है।

viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित इकाई (खसरा सहित) को ले–आउट में दर्शाते हुए ले–आउट प्लान डीग बेल्ट सहित केएमएल फाईल के साथ पठनीय प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. रि–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं किये जाने बाबत् एवं मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किये जाने बाबत् तथा कुल क्षेत्रफल का 40.14 प्रतिशत में हरित पट्टिका के विकास किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. उद्योग के पहुंच मार्ग के दोनों तरफ में 15 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण तथा स्पंज आयरन इकाई एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस तथा रोलिंग मिल इकाई की बाउण्ड्री कॉमन होने के कारण दोनों इकाईयों को कॉमन बाउण्ड्री के दोनों तरफ कम से कम 10–10 मीटर में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों के विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव अनुसार प्रथम वर्ष में 5 लाख, द्वितीय से चतुर्थ वर्ष में 4 लाख प्रतिवर्ष तथा पंचम वर्ष में 3 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
4100	2%	82	Under existing CER work **total investment Rs. 79,82,111/-**	
			Under proposed CER work following activities at nearby, 3 Government schools	
			Plantation with fencing	20.00
			New toilet construction work	
			Water harvesting system	
			Potable drinking water facility	
			Medical camps	2.00
			Total	**22.00**
			Grand Total	**101.62**

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला केवला, (2) शासकीय प्राथमिक शाला अल्फा एवं (3) शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया में किया जाएगा।

7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्यों (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स मंगल स्पंज एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा एवं मोहभट्ठा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 313/3, 313/4, 313/5, 313/6, 314/1, 314/2, 314/3 एवं 313/7, कुल क्षेत्रफल – 8.5 एकड़ में इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 72,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सी.एस.आर. एवं

सोसियो इकोनॉमी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक बताया गया कि उनके द्वारा लागत 68,00,000 रुपये का श्री मंगल उपवन/पार्क का निर्माण किया गया है, कोविड–19 महामारी के समय सी.एम. रिलिफ फण्ड, पी.एम. केयर्स फण्ड, इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी आदि में 10,51,000 रुपये दिया एवं ट्रस्ट में 1,11,111 रुपये दिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रावधान है। आवेदित प्रकरण में वर्तमान में व्यय की गई राशि 79,62,111 रुपये को सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) मद के तहत् खर्च किया जाना संभवतः प्रतीत हो रहा है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) की जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/03/2023 को प्रेषित जानकारी में बताया गया कि पूर्व में दिये गए प्रस्ताव में त्रुटिवश सी.ई.आर. के स्थान पर सी.एस.आर. का उल्लेख हो गया था, वास्तव में किये गए व्यय सी.ई.आर. मद के अंतर्गत ही है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक क्षेत्रफल 1.88 एकड़ में किये गए कार्य की जानकारी सी.ए. द्वारा प्रमाणित कर प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही शासकीय प्राथमिक शाला केशला में रेनवाटर हार्वेस्टिंग, नवीन शौचालय, वृक्षारोपण एवं ड्रिंकिंग वॉटर प्यूरीफायर का कार्य किया गया है, जिस हेतु प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला केशला का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

   सी.ई.आर. के तहत् शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, नवीन शौचालय, वृक्षारोपण एवं ड्रिंकिंग वॉटर प्यूरीफायर का कार्य किया जाना प्रस्तावित किया है, जिस हेतु प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम केरहा के समीप लागत 88 लाख से स्थापित मंगल उपवन/पार्क एवं शासकीय प्राथमिक शाला केशला में रेनवाटर हार्वेस्टिंग, नवीन शौचालय, वृक्षारोपण एवं ड्रिंकिंग वॉटर प्यूरीफायर में लागत 8 लाख रुपये से किये गए कार्यों तथा प्रस्तावित शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया एवं झलका में प्रस्तावित रेनवाटर हार्वेस्टिंग, नवीन शौचालय, वृक्षारोपण एवं ड्रिंकिंग वॉटर प्यूरीफायर की प्रस्तावित लागत 15 लाख रुपये को सी.ई.आर. के तहत् लागत को समिति द्वारा मान्य किया गया।

3. प्रस्तावित कार्य वृक्षारोपण, वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वॉटर फेसिलिटी तथा टॉयलेट निर्माण कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला केशला, (2) शासकीय प्राथमिक शाला झलका एवं (3) शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया में किया जाना प्रस्तावित है।

4. समिति द्वारा पाया गया कि निर्मित श्री मंगल उपवन/पार्क निजी भूमि का है। इस संबंध में समिति का मत है कि श्री मंगल उपवन/पार्क में अवस्थित वृक्षों की कटाई नहीं किये जाने एवं उक्त पार्क हमेशा आम नागरिकों के लिए खुला रखने तथा उक्त पार्क पर निजी अधिकार नहीं रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. पूर्व में समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।
2. श्री मंगल उपवन/पार्क में अवस्थित वृक्षों की कटाई नहीं किये जाने एवं उक्त पार्क हमेशा आम नागरिकों के लिए खुला रखने तथा उक्त पार्क पर निजी अधिकार नहीं रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
3. श्री मंगल उपवन/पार्क के बाहर आम नागरिकों (Public park) हेतु सूचना पटल लगाये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/06/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार–

1. श्री मंगल उपवन/पार्क में अवस्थित वृक्षों की कटाई नहीं किये जाने एवं उक्त पार्क हमेशा आम नागरिकों के लिए खुला रखने तथा उक्त पार्क पर निजी अधिकार नहीं रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. श्री मंगल उपवन/पार्क के बाहर आम नागरिकों (Public park) हेतु सूचना पटल लगाये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने **का निर्णय लिया गया** समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।
2. श्री मंगल उपवन/पार्क हेतु निर्धारित भूमि को खसरा रिकार्ड के प्रयोजन में निजी भूमि को वृक्षारोपण एवं पब्लिक पार्क के रूप में विकसित कर जन समुदाय के उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने बाबत् राजस्व अभिलेख में उल्लेख कराकर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस (पार्टनर– श्री निर्मल अग्रवाल), प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2017)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 78840/2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,33,000 टन प्रतिवर्ष, री–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,000 टन प्रतिवर्ष (सू–हॉट चार्जिंग क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष एवं सू–रि–हीटिंग क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पाईप्स क्षमता – 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना की कुल विनियोग 30 करोड़ रुपये होगी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सी.ई.ओ. एवं मेसर्स एनालॉग लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री श्रीकांत बी. आचेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक तथा श्री विकास ठाकुर, सलाहकार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2180, दिनांक 04/03/2021 द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (38,800 टन प्रतिवर्ष सू हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष सू बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1385, दिनांक 21/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस के नाम पर है। साथ ही पार्टनर्स यथा श्री निर्माण अग्रवाल एवं श्री तुषार अग्रवाल द्वारा पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. **जल एवं वायु सम्मति** –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 38,640 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 14/07/2021 को जारी की गई। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति दिनांक 06/12/2021 को जारी की गई, जिसकी वैधता क्षमता विस्तार के संचालन प्रारंभ माह के प्रथम दिवस से 1 वर्ष (First date of month of commissioning of the plant with expanded capacity) तक के लिए है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी ग्राम–इमलछोज 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई नगर 3.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 36 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 12 कि.मी. एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – लेण्ड एरिया स्टेटमेंट की स्पष्ट प्रति मंगाया जाना आवश्यक है।

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है**–

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/03/2021 के अनुसार :–

First Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets	Induction Furnace and CCM	9,000	-
Re-rolled steel product	New Re-rolling mill connected to existing Billet Reheating	-	36,800

	Furnace		
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000
	Total Re-rolled steel product		**57,800**
Second Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets or Re-rolled product through hot charging	Induction Furnace and CCM (MS Billets)	9,000	38,640
	Or		
	Re-rolling mill with hot charging of semi-finished steel i.e. hot MS Billet	-	36,800
Re-rolled steel product through BRF	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000

प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत :–

Unit	Product	After Expansion Capacity (TPA)	Total capacity (TPA)
Induction furnace	MS Ingot/Billets	1,33,000	1,33,000
Rolling mill	Re-rolled product through hot charging	1,05,000	2,49,000
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	1,44,000	
Pipe Fabrication Unit	MS pipe	1,20,000	1,20,000

7. मै–मटेरियल :–

Material Balance (In TPA)			
For Induction furnace with hot charging mill			
Input		**Output**	
Sponge Iron	1,36,586	MS Billet and/or Hot Rolled TMT	1,05,000
CI / Pig Iron Heavy Scrap	30,625	Cold billet not possible to re-rolled	28,000
Ferro Alloys & Aluminium	1,697	Defective billets	4,200
Ramming mass and Refractory lining	350	Mill Scale from IF and CCM	2,800
		Slag	24,761
		Refractory Waste	175
		LOI	4,322
Total	**1,69,258**	**Total**	**1,69,258**
For Fuel Fired Rolling Mill			
Input		**Output**	
MS billet from	1,23,579	Re-rolled steel product	1,44,000

internal and market			
MS billet from internal	28,000	Mill Scale	3,600
		Miss roll/end cutting	3,979
Coal	17,280	Ash	1,728
		LOI	15,552
Total	**1,68,859**	**Total**	**1,68,859**
For Pipe Fabrication Unit (In TPA)			
Input		**Output**	
Steel strips from self	1,24,800	MS pipe	1,20,000
Welding electrodes required for pipe welding	200	Scrap from pipe mill	5,000
Total	**1,25,000**	**Total**	**1,25,000**

8. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर विथ सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है तथा कोल गैसीफायर री–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाती है।

9. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S.No	Ttearn	Qty (TPA)	Disposal
1.	Defective Billets	4,200	Will be partially used in own induction furnace and remaining will be sold to re-rolling mills.
2.	Slag	24,751	Will be internally used for metal recovery or given to metal recovery units.
3.	Refractory Waste	175	Will be given to authorized recyclers.
4.	Mill Scale	6,400	Will be sold to ferro alloys/Pellet plant etc.
5.	Miss Rolls/End cutting	3,979	Will be reused in own induction furnace.
6.	Coal Ash	1,728	Will be given to brick manufacturer and for road making and plinth filling.
7.	MS Scrap From Pipe mill	5,000	Will be internally re-used remaining will sold to other units.

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 51 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 46 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 180 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 90 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है। शेष जल की आपूर्ति हेतु भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 19,641 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज वेल (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 2 नग रिचार्ज पिट (3 मीटर लम्बाई, 2 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर गहराई) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें संचान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

11. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.82 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 0.668 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। द्वितीय चरण में शेष 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि ई.आई.ए. तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च, 2022 से 31 मई, 2022 तक किया गया। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई. ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit the existing and proposed layout plan with KML file.

iv. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation (for existing & proposed).

v. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall submit NOC from competent authority for usage of water (for after expansion quantity).

viii. Project proponent shall submit existing and proposed land area statement.

ix. Project proponent shall submit details of coal consumption in per ton of products.

x. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

xi. Project proponent shall submit the Environmental audit report.

xii. Project proponent shall submit the action plan for energy conservation.

xiii. Project proponent shall submit the details of plantation / greenbelt in the EIA report along with detailed information (Size, species, number, width etc).

xiv. Project proponent shall submit details of Traffic Impact Study Report (for existing & proposed plan).

xv. Project proponent shall submit the detailed Social Impact Study Report.

xvi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xviii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xix. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xx. Project proponent shall submit an action plan to mitigate the impact of CO2 emission from the plant operation, the measures undertaking in the process and by the manufacture to minimize fossil fuels. Consumption and optimize combustion, the project proponent shall submit a study report on the decarbonization programme which would essentially consists of company's carbon emission, carbon budgeting/carbon balancing, carbon sequestration activities & carbon off setting strategies. Further, the report shall also contain time bound action plan to reduce its carbon intensity of its operation & supply chain, energy transition pathway from fossil fuel to renewable energy etc. All these activities / assessment should be measurable & monitorable with the define time frame, when project proponent comes for EC proposal these studies shall be formulated keeping in view India's Net Zero commitment at the COP26 Climate Summit.

xxi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xxii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xxiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/10/2022 को संपन्न 131वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त किया जावे। साथ ही अनुशंसित अतिरिक्त टी.ओ.आर. शर्त के बिन्दु क्रमांक 1 के निराकरण हेतु पूर्ण अभिमत अनुशंसा सहित प्रेषित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 13/01/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 5 (ii), 8(i), 8(ii), 9 (v), 10 (v), 10 (vii), का अपूर्ण पालन एवं शर्त क्रमांक 9 (iv), का आंशिक पालन किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि उक्त शर्तों के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन को पूर्ण कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022 को किये गये अनुशंसा के आधार पर टी.ओ.आर. जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में अनुशंसित टी.ओ.आर. के अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक (i) को विलोपित करते हुये एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन में शर्तों के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन के परिप्रेक्ष्य में क्लोजर रिपोर्ट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए की शर्त के साथ पूर्व में निर्धारित किये गये अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/03/2023 को संपन्न 141वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन में शर्तों के अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन किये जाने का लेख है। इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि उक्त अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शर्तों का पालन पूर्ण करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(स) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शर्तों का पालन पूर्ण करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/03/2023 के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में बताया गया कि उद्योग द्वारा किये गये एक्शन टेकन रिपोर्ट भी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का. आ. 751(अ), दिनांक 12/03/2020 एवं परिपत्र (Circular) दिनांक 08/06/2022 के अनुसार कार्यरत उद्योग को क्षमता विस्तार हेतु त्वरित टीओआर जारी करने का प्रावधान है।

साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 08/06/2022 अनुसार "At the time of issuance of expansion ToR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall

approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same." का उल्लेख है। तदानुसार ही समिति द्वारा पूर्व में स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया था। समिति का यह भी मत है कि उक्त अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शर्तों के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में जमा किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त अधिसूचना, परिपत्र (Circular) एवं ओ.एम. के परिप्रेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में समिति की 422वीं बैठक दिनांक 07/09/2022 में की गई अनुशंसा के आधार पर स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं अपूर्ण पालन एवं आंशिक पालन शर्तों के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में आवश्यक रूप से जमा किये जाने की शर्त के अधीन स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने की पुनः अनुशंसा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/08/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit Action Taken Report (ATR) at the time of final EIA presentation."

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

11. मेसर्स डेर क्रिस्ल अर्थक्ले क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट एण्ड फिक्स चिमनी क्रिक प्लांट प्रोजेक्ट (प्रो.–श्री जीवराज चंद्राकर), ग्राम–डेर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1612)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61881/2021, दिनांक 16/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। तत्पश्चात में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/419685/2023, दिनांक 28/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–डेर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3615, 3618, 3649, 3650, 3651, 3652, 3658, 3661, 3662, 3663, 3722/1, 3664/1, 3664/2, 3666, 3696, 3722/2, एवं 3723, कुल क्षेत्रफल – 6.93 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5,102 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 663, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान त्रुटि होने के कारण, आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए उल्लंघन संबंधी तथ्यों का समावेश करते हुये पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/08/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स सालेभाठा ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री बृजलाल दीवान), ग्राम–सालेभाठा, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1608)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61861/2021, दिनांक 15/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/419825/2023, दिनांक 28/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–सालेभाठा, तहसील एवं जिला–महासमुंद

स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/2, 158/3, 159, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 196, 201, 202, 203, 204 एवं 205, कुल क्षेत्रफल–5.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता – 5,102 घनमीटर (51,02,000 नग ईंट) प्रतिवर्ष है।

चूंकि में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 659, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान त्रुटि होने के कारण, आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को कि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए उल्लंघन संबंधी तथ्यों का सन्नावेश करते हुये पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को** कि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् कि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मेलाई (यूनिट–1), तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2319)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएम/ 420038/2023, दिनांक 28/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। ग्राम–मेलाई (यूनिट–1), तहसील–कलौंदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 157/1, 158/3, 160, 161, 162/1 शामिल 163, 162/2, 162/3, 164/1, 165/1, 165/2, 178, 180, 190/1, 190/2, 194, 176, 182, 175 एवं 179, कुल क्षेत्रफल–15.13 एकड़ (6.123 हेक्टेयर) में संचालित कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग रुपये 17 करोड़ (वर्तमान में 11.5 करोड़ तथा क्षमता विस्तार हेतु 5.5 करोड़) होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 409वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 400, दिनांक 27/11/2009 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मेलाई तहसील व जिला–जांजगीर चांपा, कुल क्षेत्रफल – 6.123 हेक्टेयर (15.13 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता– 0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष (200 TPH) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु स्थापना सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वॉशरी क्षमता– 0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 01/06/2019 को जारी की गई, जो दिनांक 30/04/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी भैलाई 800 मीटर, अस्पताल बलोदा 2.6 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन अकलतरा 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चकरभाटा हवाई अड्डा बिलासपुर 44 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 20 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **भू-स्वामित्व** – भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 15.13 एकड़ (6.123 हेक्टेयर) है, जिसमें वॉशरी प्लांट का क्षेत्रफल 1.46 एकड़ (9.65 प्रतिशत), रॉ–कोल, स्टॉक यार्ड, क्लीन कोल एवं रिजेक्ट्स का क्षेत्रफल 2.79 एकड़ (18.42 प्रतिशत), अन्य कंसिलिटी का क्षेत्रफल 4.07 एकड़ (26.9 प्रतिशत), वेकेंट भूमि 1.82 एकड़ (12 प्रतिशत) एवं ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 4.99 एकड़ (33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है।

7. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 2.46 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 1.984 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एसईसीएल के निकटतम खदानों गेवरा, दिपका एवं कुसमुण्डा से आपूर्ति किया जाएगा। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वॉशरी से वाश्ड कोल का 30 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईंट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची वाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कन्वेंड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई अथवा आस–पास पावर प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना के प्रारंभिक दौर में वन टाईम 9,862 घनमीटर जल की आवश्यकता होगी। तदोपरांत परियोजना हेतु घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं वीशरी हेतु 9,800 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। वीशरी से उत्पन्न दूषित जल 9,452 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पौण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे कि फ्रेश वॉटर 410 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं वीशरी हेतु 348 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 29/05/2018 से 28/05/2023 तक अनुमति प्राप्त की गई है। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया साइक्लोन आधारित वेट कोल वीशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पौण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

12. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण की स्थिति** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल में से 4.99 एकड़ (33 प्रतिशत) में 610 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से कम 20 मीटर चौड़ाई में हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर में

वृक्षारोपण के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुये 50 प्रतिशत कर संशोधित ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2022 से दिनांक 15/01/2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 29/09/2022 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्गित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project Proponent shall submit gram panchayat NOC for establishment of coal washery.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for expansion quantity).

vi. Project proponent shall submit proposal for 50% greenbelt area of total land area.

vii. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.

viii. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.

ix. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).

x. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xi. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition (for existing & proposed).

xii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation (for existing & proposed).

xiii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

xiv. Project proponent shall carry out Impact Assessement Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the layout plan with KML file of 50% of the total area for plantation and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the pheriphery of the project area. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details of latitude & longitude alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

14. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बेलमुण्डी एवं सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (संचालनालय का नस्ती क्रमांक 2320)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 420126/2023, दिनांक 27/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। ग्राम–बेलमुण्डी एवं सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 91/1, 92 (शामिल 93), 94 (शामिल 95), 96, 89/1, 89/2, 87 (शामिल 88), 90 (बटांकन उपरांत 90/3 एवं 90/2), 102/5, 102/1, 102/3, 85/20, 85/21, 85/2, 85/5, 786, 758/2, 783/2, 783/3, 793, 794, 789/1, 758/3 एवं 2/2, कुल क्षेत्रफल–19.82 एकड़ (8.02 हेक्टेयर) में संचालित कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष

से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग रुपये 14.5 करोड़ (वर्तमान में 11.5 करोड़ तथा क्षमता विस्तार 3 करोड़) होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 199, दिनांक 20/11/2012 द्वारा मेसर्स इंस्पायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बेलमुण्डी एवं सकर्ता, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर, कुल क्षेत्रफल–8.02 हेक्टेयर (19.82 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 780, दिनांक 06/08/2018 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बेलमुण्डी एवं सकर्ता, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर के नाम पर हस्तांतरित की गई।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **जल एवं वायु स्थापना सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 05/12/2020 को जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/12/2025 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी बेलतुड़ी 1.5 कि.मी., निकटतम शहर बिलासपुर 10 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन बिलासपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अस्पताल बिलासपुर 10 कि.मी., चकरभाटा हवाई अड्डा बिलासपुर 12 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 2.7 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

7. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land Use	Area (in Acres)	Area (%)
1	Washery Plant	2.38	12.01
2	Raw coal, Stock yard, Clean coal & Rejects	5.55	28.00
3	Other Facilities (internal road,staff Qtr, WTP, Rain water harvesting etc.)	3.96	19.98
4	Green belt development / Plantation	6.55	33.05
5	Vacant land	1.38	06.96
	Total	**19.82**	**100.00**

8. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 1.984 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एसईसीएल के निकटतम खदानों गेवरा, दिपका एवं कुसमुण्डा से आपूर्ति किया जाएगा। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वॉशरी से वाश्ड कोल का 30 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईंट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कन्वेंड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई अथवा आस–पास पावर प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना के प्रारंभिक दौर में वन टाईम 9,662 घनमीटर जल की आवश्यकता होगी। तदोपरांत परियोजना हेतु घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 9,800 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 9,452 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पॉन्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे कि फ्रेश वॉटर 410 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 348 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 06/12/2019 से 07/12/2022 तक की। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया साइक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉन्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 90 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

12. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

13. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से 6.55 एकड़ (33.05 प्रतिशत) में 610 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से कम 20 मीटर चौड़ाई में हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर में वृक्षारोपण के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुये 50 प्रतिशत कर संशोधित ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/12/2022 से दिनांक 28/02/2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में तत्समय सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project Proponent shall submit gram panchayat NOC for establishment of coal washery.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for expansion quantity).

vi. Project proponent shall submit proposal for 50% greenbelt area of total land area.

vii. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.

viii. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.

ix. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).

x. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xi. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition (for existing & proposed).

xii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation (for existing & proposed).

xiii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

xiv. Project proponent shall carry out Impact Assessement Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the layout plan with KML file of 50% of the total area for plantation and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the pheriphery of the project area. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details of latitude & longitude alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

16. मेसर्स बटुराबहार ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परारी परमिट क्वारी (मेसर्स तिरूपति ब्लैककॉन प्राइवेट लिमिटेड, प्रो.– श्री पदम कुमार सिंघानिया), ग्राम–बटुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (संचालनालय का नस्ती क्रमांक 2323)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/420540/2023, दिनांक 01/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बदुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1041, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,084 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक चतुर्वेदी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदानों की जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 440/ख.शा./2022 जशपुर, दिनांक 28/11/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.838 हेक्टेयर का उल्लेख है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (बदुराबहार ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी, प्रो.– श्री पदम कुमार सिंघानिया) के नाम से एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 415280/2023, दिनांक 21/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था, जिसका नस्ती प्रस्तुतीकरण 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 को हुआ। उक्त प्रकरण में 500 मीटर की परिधि में स्थित खदानों की जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 544/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 8.512 हेक्टेयर का उल्लेख है।
3. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 09/01/2023 को जारी नवीन 500 मीटर की जानकारी को प्रस्तुत नहीं करते हुये लगभग 3 माह पुरानी जानकारी प्रस्तुत कर समिति को भ्रमित किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक [मेसर्स बदुराबहार ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परारी परमिट क्वारी (मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, प्रो.–श्री पदम कुमार सिंघानिया)] के प्रस्ताव में क्लस्टर की वस्तुस्थिति से समिति को अवगत कराने हेतु संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के

संबंध में परियोजना प्रस्तावक [मेसर्स बटुराबहार ऑर्डिनरी स्टोन टेम्परारी परमिट क्वारी (मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, प्रो.–श्री पदम कुमार सिंघानिया)] के प्रस्ताव में क्लस्टर की वस्तुस्थिति से समिति को अवगत कराने हेतु संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को क्लि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् क्लि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स श्री दिनेश चंद नखत (पिनकापार लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1483)**

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 182421/2020, दिनांक 07/11/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि किये जाने हेतु दिनांक 23/06/2023 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. खदान ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1126 एवं 1128 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.17 हेक्टेयर, क्षमता – 1,35,000 टन प्रतिवर्ष की है।
2. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1577, दिनांक 28/12/2020 द्वारा मेसर्स श्री दिनेश चंद नखत (पिनकापार लाईम स्टोन माईन) की ग्राम–पिनकापार, तहसील–डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद के स्थित खसरा क्रमांक 1104, 1108, 1109, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1126 एवं 1128 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.17 हेक्टेयर, क्षमता – 1,35,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"In the issued environment clearance the validity is marked only for two years. Now the lease has been executed for 30 years and the reserves are not yet excavated with full efficiency. Thus, we request you to consider the period of EC for 30 years from date of issue and kindly arrange to provide revised EC for further lease period. We would also like to submit that as per

MOEF OM dated 13.12.2022, the validity of EC which had not expired as on date of publication of notification dated 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity i.e. for quarry projects is 30 years.

Thus, I am herewith requesting you to kindly consider our application and arrange to issue the EC with 30 years validity or issue a letter to OMIT the first condition of the issued EC which states its validity for two years only, at earliest & oblige please."

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/08/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स बी.एच. टेक्नोक्रॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (संचिकालय का नस्ती क्रमांक 1313)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/2020, दिनांक 26/06/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/2020, दिनांक 26/11/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित खाटा ऑफ खसरा क्रमांक 116/1, कुल एरिया– 0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित है। नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच एवं शेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रुपए 2.75 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फेसीलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु चर्चित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच एवं ग्रेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा हेतु टीओआर जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 03/03/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवेश मलिक, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एनव्रो इन्वायरो टेक एण्ड इन्जीनियरस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से डॉ. धवल नायक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - समीपस्थ आबादी ग्राम–पूंजीपथरा 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 14.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 350 मीटर दूर है। खुरकोट नदी 7.9 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
   - कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एनएचएम/बीएमडब्ल्यू/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
2. **भूमि उपयोगिता संबंधी विवरण** – आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2984/सामान्य/2019, दिनांक 25/11/2019 को एल.ओ.आई. मेसर्स डी.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को जारी की गई है। साथ ही किये गये एम.ओ.यू.(अनुबंध) मास्टर सर्विस एग्रीमेंट के सरल क्रमांक 6 के अनुसार "Project Activities and Timeline: The contract signed with DMC shall be valid for a period of 6 months installation from land allotment and environmental clearance by DMC and 36 months of exection post commissioning of the CBWTF. The contract may be extended for another 24 months and there after further extension is dependent upon mutual agreement between DMC and the qualified bidder, based on satisfactory performance" का उल्लेख है। उक्त के संदर्भ में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/एन.एच.एम./बीएमडब्ल्यू/2020/3177 रायगढ़, दिनांक 20/02/2020 द्वारा रायगढ़ जिले में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
3. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Description	Area(in SQM)	Area (%)
1.	Incinerator plant	208	5.1

2.	Shredder area	54	1.3
3.	Sterilization room	54	1.3
4.	Control room	36	0.9
5.	Treated waste storage room	80	2.0
6.	Hazardous waste storage room	54	1.3
7.	Red waste storage room	28	0.7
8.	Yellow waste storage room	28	0.7
9.	Other waste storage room	28	0.7
10.	E.T.P. Area	56	1.4
11.	Utility Area	70	1.7
12.	Vehicle wash Area	64	1.6
13.	Vehicle Parking Area	165	4.1
14.	Office	65	1.6
15.	Security Cabin	18	0.4
16.	Green Belt	1,340	33.0
17.	Collection and Segregation Area	120	3.0
18.	Roads Area and Open Space Area	1,594	39.2
Total Site Area		**4,062**	**100**

4. इंडक्शन पायरोलिसिस –

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF INDUCTION PLASMA PYROLYSIS INCINERATOR**

Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis	
Capacity	100 KG Per Hour
Type	Cylindrical Vertical (solid waste feeding)
Volume	3 m^3
Moc (Shell)	SS310- 10mm Thick
Chamber Pressure	10-20 mm WC
Travel Speed	6.02 mtr/ Hr
Refractory Thick	100 mm
Flue Gas Velocity	1.3 mtr / Sec
Ash And Residue Separation	Ash Separator With Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention	Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Back Pressure Prevention	From Charging Door Compressed Door Mechanism
Explosion Safety Explosion	Davit Arrangement (Internal)
Waster Loading Mechanism	Hoper unit With Safety Door
Waste Feeding Mechanism	Hydraulic Ram
Feeding unit	5HP
Nature / Category of waste	Incinerable bio-medical waste with Maximum 85% moisture Content
Heat Loss Fraction	0.05
Design Temperature	1400 °C
Source Of Energy	Electric

Combustion Efficiency	At Least 99 %
Temperature Resistance (Primary Chamber)	1400°C
Temperature Resistance (Secondary chamber)	1200°C
Preheating Time	Maximum One Hour
Temperature In Primary Chamber	Relevant Temperature
Temperature In Secondary Chamber	1050 + 50 °C and 1050 – 50 °C
O_2 content in Primary Chamber	6%
Residence time for flue gas in Secondary Chamber	2 sec

- **BRIEF SPECIFICATIONS OF SECONDARY CHAMBER**

Description	Specification
Type	Cylindrical Statical
Inclination	Vertical 90 or horizontal
Volume	3 m^3
MOC(Shell)	SS304 or MS 2062 refractory lined
Chamber pressure	10-20 mm WC
Refractory Thick	100 mm
Flue gas velocity	1.9 mtr/sec
Ash and Residues Separation	Ash Separator with Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage Prevention Unit	High Pressure Air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Explosion Safety	Explosion Davit Arrangement (Internal) Top With Counter Weight Linked With PLC Control
Retention time of flue gases in Chamber	2 - 2.2 Second.

- **Autoclave**

Technical Specifications	
Capacity	100 Litre/hr
MOC	SS - 304
Model No.	NEET AC100
Insulation	Ceramic wool on outer side
Pressure	2.1 kg/cm^2
Air Emission	Highly Odorous but Non Toxic
Heating Media	By steam generated from Electric heater arrangement.
Feeding	Hydraulic System
Safety Instrument	Pressure Gauge and Safety Valve
Temperature	121 to 134°C
Design Temperature:	150°C
Water Emission	Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base
Treatment Effluent	Low Wet Waste 10 % Heavier all

	Material Acceptance Recognizable

- **Shredder**

Technical Specifications	
Capacity	100 Kg/Hr x 1 No
MODEL No	NEET AC100
Waste Materials	Biomedical waste
Power	5 HP
Motor	3 Phase 50 Hz 415 VAC
Hopper Size	300 X 400 mm Height
Drive	V belt Pulley drive
Required Space	$2m^2$ (only machine)
MOC	MS Fabricated
MOC of Blade	W.P.S. Hardened changeable Blade
Control Panel	Dual starter ON/OFF switch
Shredding Size	25 X50 mm Waste Cutting
Bearing	SKF/ZKL Ball Bearing.
Cutting Blade	5 Nos.(3 movables & 2 fix blade)

5. **प्रोजेक्ट हेतु आवश्यक तथ्य** – प्रस्तावित परियोजना में शासकीय अस्पताल, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक एवं शासकीय उप–स्वास्थ्य केन्द्र आदि में बेडो की संख्या एवं बीयो मेडिकल वेस्ट संग्रह किये जाने संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **हजार्डस एवं ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	**TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE**	**SOURCE**	**QUANTITY GENERATED (Kg/Day)**	**METHOD OF DISPOSAL**
36.2	Ash	Incinerator	500	Sent to TSDF
34.3	ETP Sludge	ETP area	75	Sent to TSDF site for landfilling or cement co-processing
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery / TSDF
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	10	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries		As	Sent to Authorized

			generated	Recyclers

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु कुल 10 किलोलीटर प्रतिदिन जिसमें से पेंक वॉटर 5.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं रिसाईकल वॉटर 4.5 किलोलीटर प्रतिदिन (इनसिनरेटर/स्क्रबर में 4.7 किलोलीटर प्रतिदिन, फ्लोर वॉशिंग में 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन, वीकल वॉशिंग में 1 किलोलीटर प्रतिदिन, सॉल्यूशन बनाने में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, स्टीम जनरेशन में 0.1 किलोलीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग में 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन एवं घरेलु 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। इस हेतु केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण (CGWA) से अनुमति लिया जाएगा।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलु दूषित जल की मात्रा 0.8 किलोलीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 4.8 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक/सोक पिट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ईफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता–10 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ईफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइजेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं फ्लोकुलेटर, प्राईमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, पंप, स्लज ड्राईंग बेड, पी.एस.एफ. एवं ए.सी.एफ., कैमिकल डिसइन्फेक्शन फेसिलिटी (सोडियम हाइपोक्लोराइड/क्लोरिन/पोटेशियमपर मैंगनेट का उपयोग डिसइन्फेक्टेंट मीडिया की तरह किया जाएगा), ट्रीटेड वेस्ट वॉटर टैंक आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 1,345 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर एवं गहराई 0.2 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Plasma Pyrolysis में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रिबर के साथ पेक्ड बैड स्क्रबर एवं वेंचुरी स्क्रबर तथा चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की ऊंचाई 12 मीटर होगी। उक्त चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन की मात्रा

50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।

9. **परिवहन व्यवस्था** – जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (तथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु कुल 150 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 के.वी.ए. का एक डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

11. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,340 वर्गमीटर (लगभग 33 प्रतिशत) में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

12. प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 2.75 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में एवं जारी टी.ओ.आर. में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 16 अक्टूबर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 9 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 14.9 से 51 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 56.4 से 94 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 3.6 से 25.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2ए}$ 7.6 से 32 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 0.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि, हाईड्रोक्लोरिक एसीड की मात्रा 0.16 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं एन.ओ.$_{2ए}$ की मात्रा 1.25 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 49.5 डीबीए से 54.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.6 डीबीए से 43.7 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

16. लोक सुनवाई दिनांक 11/08/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान बंजारी मंदिर परिसर के समीप ग्राम–तराईमाल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/10/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. इस क्षेत्र में हाथीयों के आवागमन के लिये धरमजयगढ़ से बंधुरसिया तक ऐलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ऐलिफेंट वॉच टॉवर भी बनाया गया है।

ii. प्रस्तावित क्षेत्र के समीप केलो नदी एवं कुरकेट नदी 7 कि.मी. है। परियोजना से दूषित जल नदियों में प्रवाहित किया जाएगा।

iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. प्रस्तावित कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र ऐलिफेंट कॉरिडोर के बाहर है।

ii. जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ईटीपी लगाया जाएगा साथ ही किसी प्रकार का दूषित जल परियोजना क्षेत्र के बाहर नहीं निस्तारित किया जाएगा।

iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at Government Primary School, Village- Punjipathara	
			Rain Water Harvesting System	0.36

			Roof top Solar Panal System	3.12
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.78
			Digitization of School Projectors, Computers, Tables	1.24
			Total	5.50

उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, साल, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. पूर्व में टी.ओ.आर. हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में एवं जारी टी.ओ.आर. में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिबैच का उल्लेख है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित परियोजना में शासकीय अस्पताल, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक एवं शासकीय उप-स्वास्थ्य केन्द्र आदि में बेड की संख्या, बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा एवं संग्रहण किये जाने के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त संस्थाओं से जनित बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा अनुसार बॉयो मेडिकल वेस्ट फेसिलिटी किया जा रहा है अथवा नहीं? के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक-अप प्रस्तुत किया जाए।
4. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्र.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा नक्शा (बी-1, बी-2) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना के स्थापना हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. उद्योग एवं उद्योग परिसर के चारों ओर एम.पी.एन. (Most Probable Number) स्टडी प्रतिवर्ष किए जाने हेतु शपथ पत्र (Under Taking) प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस-पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं कैंसेरोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित परियोजना में कितने व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगे एवं उनके सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की जाएगी? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बीयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. प्रस्तावित परियोजना के उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट एवं ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु टी.एस.डी.एफ., सीमेंट इकाईयों में को–प्रोसेसिंग के लिए एवं अधिकृत रिसाईक्लर से अनुबंध के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

12. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. जल के घनत्व को 1 घनमीटर माना गया है। जिससे ऑटोक्लेव की क्षमता की ईकाई किलोग्राम प्रतिबैच एवं लीटर प्रतिबैच का उपयोग किया गया है, जो कि समान है। आटोक्लेव मशीन में स्टीम (steam) का उपयोग उच्च दाब में प्रेशर वेसल के अंतर्गत हानिकारक बैक्टेरिया, वायरस, फंगस एवं बीजाणु को मारने के लिए किया जाता है। ऑटोक्लेव की क्षमता कक्ष के आयतन के बराबर होती है। ऑटोक्लेव की प्रतिबैच को प्रतिघंटा माना गया है।

2. प्रस्तावित परियोजना द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार 1 बॉयो–मेडिकल वेस्ट फेसिलिटी में 75 कि.मी. का क्षेत्र एवं 10,000 बेडों की संख्या लिये जाने का उल्लेख है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा रायगढ़ जिले के कुल 184 हेल्थ केयर फेसिलिटी (HCFs) में बेडों की संख्या 1,722 लिया गया है, जिससे जनित बॉयो मेडिकल वेस्ट की मात्रा 516.6 कि.ग्रा. प्रतिदिन (गाईडलाईन अनुसार 300 ग्राम प्रतिबेड प्रतिदिन) को संवहन किया जाएगा।

3. विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है परन्तु भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया गया है। भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) एवं मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया नहीं किया गया है।

5. भूमि खसरा क्रमांक 116/7 (खसरा क्रमांक 116/1 का भाग) शासकीय भूमि है जो संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTF) इकाई की स्थापना हेतु आरक्षित है।

6. परियोजना के स्थापना हेतु ग्राम पंचायत सन्हसन्ना का दिनांक 21/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. उद्योग एवं उद्योग परिसर के चारों ओर एम.पी.एन. (Most Probable Number) स्टडी प्रतिवर्ष किए जाने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. प्रत्येक 6 माह में उद्योग एवं परियोजना के आस-पास निवासरत लोगों का एलर्जी एवं फैफेड़ोजनिक प्रभाव की स्टडी कराने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. प्रस्तावित परियोजना में कुशल श्रमिक 5, अर्धकुशल श्रमिक 8 एवं अकुशल श्रमिक 12 व्यक्ति कार्यबल के रूप में कार्य करेंगें एवं उनके सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाया जाएगा साथ ही प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का फैफेड़ोजनिक टेस्ट करवाया जाएगा।

10. प्रस्तावित परियोजना एवं आस-पास के क्षेत्र का ऐरो-बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. ई.टी.पी. स्लज, इन्सीनेरेशन ऐश एवं मेटल डार्क को मेसर्स रामकी इन्फ्रावरो इंजीनियर्स, जिला-बलौदाबाजार को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में मेसर्स रामकी इन्फ्रावरो इंजीनियर्स जिला-बलौदाबाजार का संचालन नहीं है। संचालन प्रारंभ होने तक उत्पन्न अपशिष्ट को मेसर्स रामकी इन्फ्रावरो इंजीनियर्स शिवनपुरा, म.प्र. को उपलब्ध कराया जाएगा। मेसर्स रामकी इन्फ्रावरो इंजीनियर्स, जिला-बलौदाबाजार से अनुबंध पर्यावरण स्वीकृति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति उपरांत अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद की जाएगी (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)। रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईक्लर को उपलब्ध कराया जाएगा (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)। यूज्ड बैटरीज को स्टार ई-प्रोसेसर ग्राम-बकतरा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर को उपलब्ध कराया जाएगा (प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सत्यापन के अधीन)।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
275	2%	5.50	Following activities at,	
			Pavitra van nirman	5.50
			Total	5.50

13. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 40,000 रुपये, सिंचाई तथा फेंसिंग (Protection) के लिए राशि 36,000 रुपये, पीट मेकिंग तथा खाद के लिए राशि 38,000 रुपये, रख–रखाव के लिए राशि 52,800 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,88,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,51,400 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र निर्माण वन हेतु ग्राम पंचायत समारूमा को यथायोग्य स्थान प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कुल विनियोग में वृद्धि होने पर तदानुसार सी.ई.आर. के अतिरिक्त कार्य हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् स्थान प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के हेतु ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया किया जाए।
4. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब (उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक ii एवं iii) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. श्रमिकों के सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने एवं प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का पैथोलॉजिक टेस्ट करवाये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
7. रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईक्लर को उपलब्ध कराये जाने तथा यूज्ड बैटरीज को स्टार ई–प्रोसेसर ग्राम–बकतरा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर को उपलब्ध कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि:–

1. भूमि के मूल्य को शामिल करते हुए विनियोग की कुल लागत 2.75 करोड़ का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:–

S.No.	Details	Cost (In Lakh)
1.	Site clearing, excavation, leveling construction work and other civil work	50.00
2.	Plant and Machineries and other equipment including taxes and duties	150.00
3.	EMP including water pollution control, air pollution control, firefighting system, OHC, laboratory etc.	50.00
4.	Other misc. cost	25.00
	Total	275

उद्योग के प्रस्तावित कुल विनियोग 275 लाख अनुसार ही पूर्व में सी.ई.आर. का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 17/08/2022 के माध्यम से 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार किये जाने हेतु संभागीय वनमण्डल अधिकारी को लेख किया गया। किन्तु वन्य प्राणी संरक्षण योजना हेतु प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के हेतु ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब (उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 8 एवं 10) का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. श्रमिकों के सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने एवं प्रत्येक 6 माह में श्रमिकों का पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रस्तावित परियोजना एवं आस–पास के क्षेत्र का ऐरो–बॉयोलॉजिकल स्टडी (Aero-Biological study) कराने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

7. रिसायकेबल प्लास्टिक एवं ग्लास वेस्ट को समीपस्थ अधिकृत रिसाईक्लर को उपलब्ध कराये जाने तथा सूज्ज बैटरीज को स्टार ई–प्रोसेसर ग्राम–बकतरा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर को उपलब्ध कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के हेतु ग्राम पंचायत से यथायोग्य स्थान (खसरा नंबर एवं रकबा सहित) विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किये जाने बाबत् डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस, रायगढ़ में दिनांक 05/09/2022 को आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में "पवित्र वन निर्माण" हेतु ग्राम पंचायत सन्धाखम्हा से यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 83, रकबा 5.38 हेक्टेयर) का विवरण प्राप्त कर ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से प्रमाणित कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 24/02/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के संबंध में प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ को दिनांक 05/09/2022 को प्रेषित किया गया है। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वन्य प्राणी संरक्षण योजना अनुमोदित की गई है।

तदोपरांत वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण), वन मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक/व.प्रा. /प्रबंध–603/41 नवा रायपुर, दिनांक 30/01/2023 द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण योजना के संबंध में आदेश जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार अनुमोदित योजना में हाथी ट्रेकिंग हेतु मजदूरी भुगतान, सूचना तंत्र हेतु पुरस्कार राशि एवं जन जागरूकता अभियान हेतु राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

S.No.	Activities	Budget Provision (In Rs. Lakhs)			
		Years from cleaning the area			
		1st	2nd	3rd	Total
1.	Wages/Honorarium of Hathi Tracking Team (2 Person@9000.00 per month)	2.16	2.16	2.16	6.48
2.	Rewards for informaers	0.05	0.05	0.05	0.15
3.	Elephant Awareness Creation Measures	0.10	0.10	0.10	0.30
Total					6.93

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./1136/2023/रायगढ़, दिनांक 22/02/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"आवेदित क्षेत्र की एरियल डिस्टेंस नजदीकी वनक्षेत्र से लगभग 1.00 कि.मी. है। उक्त भूमि वन अधिपत्य की भूमि नहीं है। अतः शासकीय भूमि खसरा नं. 116/7 (खसरा नं. 116/1 का भाग) रकबा 0.406 हे. भूमि में संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (CBWTF) ईकाई की स्थापना के इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। यदि उक्त भूमि छोटे–बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान अनुसार कार्य किया जाना अपेक्षित है।"

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के अनुबंध की अवधि में विस्तार होता है तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित वन्य प्राणी संरक्षण योजना के अनुसार ही आगामी कार्य किया जाएगा। इस हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

If VMTSPL's contract of CBMWTF Continues after its validity with the Chairman Divisional Monitoring Committee, Bilaspur Division (Biomedical Waste) then VMTSPL will renew/revalidate the Conservation Plan as per the rules and regulations along with the prescribed fee set forth by the Wildlife Conservator, Raipur CG at that time.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स वी.एन. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी) को ग्राम–चूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1 में कुल एरिया– 0.4082 हेक्टेयर (1 एकड़), नवीन कॉमन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस – 100

किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर प्रतिबैच एवं शेडर क्षमता – 100 किलोग्राम प्रतिघण्टा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/04/2023 को संपन्न 144वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा सकारात्मक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. वार्षिक प्रदूषण भार की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान का व्यवहार विस्तृत प्रस्ताव (ब्रेक–अप) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना के संचालन से होने वाले दुर्गंध की समस्या के रोकथाम हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. बॉयो मेडिकल वेस्ट के हथालन एण्ड कलेक्शन प्वाईंट में निर्धारित व्यक्तियों के ट्रेनिंग की व्यवस्था एवं उनकी सुरक्षा हेतु पी.पी.ई. किट के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. Persistent Organic Pollutants (Dioxins and Furans) के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित सुसंगत जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/06/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. वार्षिक प्रदूषण भार की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार–

Estimation of Annual Carbon emission from proposed new project of Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF)

S. No.	Source	Assumptions / Considerations	CO2 Emission (MT/Annum)		Mitigation Measures for Carbon Sequestration/ Reduction	CO_2 can be reduced (MT/Annum)	Total CO_2 Emission providing by mitigation measures and fuel alternative (MT/Annum)
			Direct	Indirect			
			A			B	C=A-B
1.	Electricity Consumption (Overall)	Electricity Consumption:120 KW Working	-	864	Unit shall install 20 KW Solar panel to reduce daily electricity	31	833

		Hours: 20 CO_2 emission factor = 1 kg/KW			requirement for proposed project		
2.	Transportation of Employees	Total Employees = 25 No. Of Two-wheeler = 10 No. Of Four-Wheeler = 2 No.	-	6.7	Common Transportation of workers instead of two- wheeler (ex: Bus)	1.2	5.5
3.	Transportation of Bio Medical Waste from HCFS to site and transportation of Hazardous Waste	Total fuel consumption liters/ annum = 4493.6 CO_2 emission factor = 2.65 kg/liters	-	11.9	Exhaust manifold can be utilised which can reduce about 28 to 50% carbon emissions.	-	-
4.	ETP and STP	Effluent Load = 4.5 KLD	-	0.1	It is proposed to provide green belt in an area of 1340m². Around 265 nos. of native plant species will be developed. In one year, a mature tree will absorb more than 48 pounds (22 Kgs) of carbon dioxide	5.8	-11.7
Total			882.7		Total	37.7	833

Interpretation: From the above table, it is estimated that by providing mitigation measures as mentioned i.e., usage of renewable energy resources such as solar energy, usage of public transport instead of individual vehicles for workers, by development of greenbelt etc. unit can reduce annual carbon emission from 882.7 MT/Annum to 833 MT/Annum, which is around 4.2% reduction in total carbon emission level from the proposed project activities.

2. इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान का आधार विस्तृत प्रस्ताव (ब्रेक–अप) प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

Budgetary Allocation for EMP:

S. No.	Description	Capital Cost		Recurring Cost	
		Rs. In Lakh	Basis	Rs. In Lakh per annum	Basis of Cost Estimation
1.	Air Pollution	11	Installation of	0.5	Power consumption

	Control		Air Pollution Control System		and maintenance of APCM
2.	Water Pollution Control	10	Construction / Installation of ETP	0.5	Cost of chemicals, power consumption, maintenance cost of ETP
3.	Hazardous / Solid Waste Management	1	Membership of TSDF/CHWIF	7	Transportation and disposal cost
4.	Noise Pollution	1	Acoustic enclosure for D.G. Set, Pumps housing	0.5	Maintenance cost
5.	Occupational Health facility	1.5	Occupational Health Facilities/First Aid Center	2.5	Hiring of panel doctors, medical examiners and expenses
6.	Environmental Monitoring	3.5	In-house lab with monitoring and testing facilities	8.3	Third party cost for environmental monitoring and statutory compliance and chartered services.
7.	Green Belt Development	4.9	Cost of saplings, soil, transportation, pit making, fertilizer cost and water supply cost	2.7	Cost of Gardner's Salary, Fertilizer, water supply & trees protection
	Total	**32.9**	**Total**	**20**	

3. परियोजना के संचालन से होने वाले दुर्गंध की समस्या के रोकथाम हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

विभिन्न श्रेणियों के कचरे के लिए भंडारण क्षेत्र निर्धारित करने का प्रस्ताव है। ऑपरेशनल फेस के दौरान दुर्गंध की परेशानी से बचने के लिए, कचरे को एक बंद क्षेत्र में नकारात्मक दबाव के साथ संग्रहित किया जाएगा, जिसमें हवा का प्रवाह इन्सीनरेटर के माध्यम से किया जाएगा, जो अप्रिय गंधों (unpleasant odours) को वातावरण में जाने से रोकता है।

नियमित अंतराल के दौरान बायो मेडिकल वेस्ट के भंडारण क्षेत्र के आसपास इन्सेक्टीसाईड (जैविक और बायो–डिग्रेडेबल केमिकल) जैसे गंध को कम करने वाले का उपयोग किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, परिसर में ग्रीनबेल्ट के लिए 33 प्रतिशत क्षेत्र प्रस्तावित किया है। ग्रीनबेल्ट आमतौर पर अपनी सतह पर गंधयुक्त गैस को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं, इससे संपत्ति परिसर के बाहर ग्रीनबेल्ट की परेशानी कम होगी।

साथ ही, इंसीनरेटर को सीपीसीबी के दिशा–निर्देशों और गाईडलाईन में दिए गए मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा।

4. बॉयो मेडिकल वेस्ट के हेण्डलिंग एण्ड कलेक्शन प्वाईंट में नियोजित व्यक्तियों के ट्रेनिंग की व्यवस्था एवं उनकी सुरक्षा हेतु पी.पी.ई. किट के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

5. Persistent Organic Pollutants (Dioxins and Furans) के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में समिति की 452वीं बैठक दिनांक 28/02/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall study the Persistent Organic Pollutants (Dioxins and Furans) and submit monitoring report quarterly to SEIAA after commissioning of the plant. "

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. मेसर्स तिवारी कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड (डॉयरेक्टर– श्री अशोक कुमार), ग्राम–लिम्हा, तहसील व जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2296)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 416583/ 2023, दिनांक 01/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। ग्राम–लिम्हा, तहसील व जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 62, 63, 65 एवं अन्य 46 खसरे, कुल क्षेत्रफल–8.068 हेक्टेयर (19.93 एकड़) में संचालित कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग रुपये 17 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक कुमार, डॉयरेक्टर तथा श्री राजकुमार, सी.ई.ओ. एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एन सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जमाउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 22/01/2018 को मेसर्स तिवारी कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, ग्राम–लिम्हा, तहसील व जिला–बिलासपुर स्थित

खसरा क्रमांक 62, 63, 65, (66/2, 67), 68, 69, 70/2, 38/2, 42/1, 42/2, 44/1, 49/3, 73/1, 73/2, 75, 79, 74, 76, 54, 77, 87, 38/1, 78, 37/4, 37/6, 47/1, 47/2, 49/1, 50, 51, 52, 53, 55, 56/1, 56/2, 56/3के, 56/3ख, 56/4, 56/5, 57, 58, 59, 60, 61/3, 66/1, 71, 72 एवं 37/2, कुल क्षेत्रफल – 8.068 हेक्टेयर (19.93 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 95, दिनांक 09/05/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया।

ii. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने बाबत् दिनांक 13/02/2023 को आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. जल एवं वायु सम्मति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 18/06/2018 को जारी की गई। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा जल एवं वायु स्थापना सम्मति में संशोधन दिनांक 13/06/2019 को जारी किया गया।

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा जल एवं वायु स्थापना सम्मति में कैपेसिटी वृद्धि दिनांक 18/11/2022 को जारी किया गया।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वॉ–कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–लिम्हा 1 कि.मी., शहर बिलासपुर 27 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन नैला 16.5 की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 50 मीटर दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत लिम्हा का दिनांक 15/09/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **भूमि स्वामित्व –**

नाम	खसरा क्रमांक
श्री अशोक कुमार दुलयानी (डायरेक्टर)	62, 63, 65, (66/2, 67), 68, 69, 70/2
श्री रवि कुमार दुलयानी (डायरेक्टर)	54, 77
मेसर्स तिवारी कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड	38/2, 42/1, 42/2, 44/1, 49/3, 73/1, 73/2, 75, 79, 78, 38/1, 37/4, 37/8, 47/1, 47/2, 49/1, 50, 51, 52, 53, 55, 56/1, 56/2, 56/3k, 56/3kh, 56/4, 56/5, 57, 58, 59, 60 (61/3 Included), 66/1, 71, 72, 74, 76, 44/2, 78

श्री अशोक कुमार दुलयानी (डायरेक्टर) एवं श्री रवि कुमार दुलयानी (डायरेक्टर) द्वारा मेसर्स तिवारी कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड को 29 वर्षों की अवधि हेतु जारी लीज की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Description	Area (Acres)	%
1.	Washery Plant	4	20
2.	Raw Coal, Stock Yard, Clean Coal & Reject	3.5	17.5
3.	Other facilities (Internal Roads, WTP, Staff Qtr. Rain Water Harvesting etc.	2	10
4.	Green Belt Development/Plantation Area	9.5	47.5
5.	Vacant Land	0.93	5
	Total	19.93	100%

समिति का मत है कि कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः रिवाईज्ड लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 1.984 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से बॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। बॉशरी से वाश्ड कोल का 30 से 40 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों

एवं 60 से 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईंट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बैग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु परिसर के भीतर एवं पहुंच मार्ग में जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कन्वेंड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई अथवा आस–पास पावर प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना के प्रारंभिक दौर में डन टाईम 9,862 घनमीटर जल की आवश्यकता होगी। तदोपरांत परियोजना हेतु घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 9,800 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 9,452 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पॉण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे कि फ्रेश वॉटर 410 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 348 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

12. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से 19.50 एकड़ में से 9.5 एकड़ (47.5 प्रतिशत) में 610 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के चारों तरफ कम से कम 20 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण आगामी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही पूर्ण किया जाए तथा वृक्षारोपण को ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण का विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 50 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 12/12/2022 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता-0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:-

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

v. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.

vi. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.

vii. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).

viii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

ix. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

x. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation.

xi. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

xii. Project proponent shall carry out Impact Assessement Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the layout plan with KML file of minimum 50% of the total area for plantation & earmarking the reservoir/pond property inside the plant premises and also earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the pheriphery of the project area.

xv. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/04/2023 को संपन्न 145वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक को प्रोसेस फ्लोचार्ट में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. चिमनी की ऊंचाई की गणना एवं प्रदूषण भार की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. वॉश कोल के परिवहन मार्ग को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/05/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/06/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/08/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी समस्त पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 13/02/2023 को आवेदन किया गया है।
2. कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक को प्रोसेस फ्लोचार्ट में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. चिमनी की ऊंचाई की गणना एवं प्रदूषण भार की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कोल बीशरी में बेग फिल्टर के साथ 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किये जाने से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की गणना की जाएगी।
4. वॉश कोल के परिवहन मार्ग को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में पूर्व में समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21/03/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

3. मेसर्स सतीश स्टील इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल एरिया सोनकौनरी, जिला-रायपुर (संचालय का नस्ती क्रमांक 2287)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 415588/ 2023, दिनांक 23/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खसरा क्रमांक 688/6, 688/7, 688/8 एवं 688/13, इण्डस्ट्रीयल एरिया सोनकोंगरी, जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता–8,000 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 1 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 21/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सतीश गोदयानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** – क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला–रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–8,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 12/07/2018 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 31/07/2023 तक है।
2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –
   i. समीपस्थ आबादी कबीर नगर 500 मीटर एवं रायपुर 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 3.7 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मना, रायपुर 17.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.9 कि.मी. दूर है। आमन नदी 5.5 कि.मी. दूर है।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. **भू–स्वामित्व** – भूमि हेतु क्रय–विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पार्टनर डीड (श्रीमती चंचल देवी गोदयानी, श्री मनीष कुमार गोदयानी एवं श्री सुरेश कुमार गोदयानी) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (SQM)	Area (%)
1.	Rolling Mill Shed	607.5	15
2.	Raw Material Area	202.5	5
3.	Finished Goods Area	202.5	5
4.	Green Belt Area	1,336.5	33
5.	Road Area	1,093.5	27
6.	Open Area	607.5	15
	Total	4,050	100

5. **रॉ–मटेरियल** –

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets	8,200	Open Market	By road
2.	Coal	1,000	E-Auction/ Open Market	By road

6. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of Re-heating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 8,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु उच्च क्षमता का स्क्रबर लगाया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत चिमनी से पार्टिक्युलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाएगा। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल– 120 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग – 80 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाएगा। साथ ही यूज्ड ऑयल 0.5 किलोलीटर प्रतिवर्ष जनित होगा जिसका उपयोग मशीनों में लुब्रीकेन्ट के लिए किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रारंभ में कुल 10 घनमीटर (डन टाईम) जल की आवश्यकता होती है। परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 8 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3.5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 1.5 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 9.5 घनमीटर प्रतिदिन हेतु दिनांक 28/02/2023 द्वारा जारी अनुमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 1 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.133 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 330 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उद्योग परिसर के भीतर 180 से 200 नग पौधे रोपित किये गए है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक किया गया।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार " The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

    Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
ii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
iii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
iv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
vi. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

vii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

x. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/04/2023 को संपन्न 145वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. उद्योग के समस्त इकाईयों को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. चिमनी की ऊंचाई की गणना एवं प्रदूषण भार की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/06/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/05/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. उद्योग के समस्त इकाईयों को ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।
2. चिमनी की ऊंचाई की गणना एवं प्रदूषण भार की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु रि–हीटिंग फर्नेस में उच्च दक्षता का स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किये जाने से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार उत्सर्जन की मात्रा 5.328 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में समिति की 445वीं बैठक दिनांक 21/03/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:-

i. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.
ii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.के. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़